न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया

भुनेश्वर महतो बनाम लक्ष्मण यादव वगै०

वाद संख्या –139/2023

धारा – 144 द०प्र०सं०

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

आदेश

9/11/23

अभिलेख उपस्थापित प्रश्नागत वाद की भूमि मौजा– चौंगाखार, थाना– बिरनी, अंचल– बिरनी, जिला– गिरिडीह, खाता न०–63/5, प्लॉट न०– 240, रकवा– 50 डी० मद्ये 16 डी० , चौहद्दी– उ०– रोड पक्की, द०–कट्टी महतो वगै० बारी, पू०–परती कदीम एवं रास्ता, प०– रोड़ पर वाद की कार्यवाई प्रथम पक्ष के आवेदन एवं अंचल अधिकारी बिरनी के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में प्रारम्भ कर उभय पक्षों से कारण पृच्छा की माँग करते हुए प्रश्नागत भूमि पर निषेधाज्ञा लागू किया गया।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने कारण पृच्छा दाखिल कर बताया की उक्त भूमि प्रथम पक्ष को बंटरानाम केवाला संख्या 3961 वर्ष 1965 से हासिल है तथा तब से प्रथम पक्ष वाद की भूमि पर दखलकार चले आ रहे हैं। द्वितीय पक्ष के द्वारा जबरन वाद की भूमि पर दिनांक 04.07.2023 को निर्माण कार्य करने हेतु नीव की खुदाई करने लगे फलतः वाद दायर की गई है।

प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावा के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गए।

1. बटवारानाम केवाला संख्या 3961 वर्ष 1965 के सत्यापित कॉपी की छायाप्रति।
2. राजस्व रशीद की छायाप्रति।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने कारण पृच्छा दाखिल कर बताया की उक्त भूमि द्वितीय पक्ष को बंटरानामा केवाला संख्या 3961 वर्ष 1965 से हासिल है तथा तब से द्वितीय पक्ष वाद की भूमि पर दखलकार चले आ रहे हैं। प्रथम पक्ष द्वारा पूर्व में ही अपने हिस्से की जमीन बिक्री की जा चुकी है। साथ ही तकरारी भूमि पर द्वितीय पक्ष के द्वारा पूर्व में हीं मकान निर्माण किया जा चुका है एवं उक्त मकान में द्वितीय पक्ष निवास कर रहे हैं। प्रथम पक्ष के द्वारा दायर मुकदमा पोषणीय नहीं है।

प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावा के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गए।

1. बटवारानाम केवाला संख्या 3961 वर्ष 1965 के सत्यापित कॉपी की छायाप्रति।
2. राजस्व रशीद की छायाप्रति।

अंचल अधिकारी बिरनी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में बतलाया गया है कि उक्त वाद की भूमि गैरमजरूआ खास किस्म की है जो किस्म जमीन परती कदीम दर्ज है एवं उक्त प्लॉट का कुल रकवा 84 एकड़ है।

उभय पक्षों के अधिवक्ता के कथन को सुनने एवं अभिलेख में संधारित कारण पृच्छा, जाँच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रश्नागत भूमि पर हक–हकियत तथा बँटवारे से संबंधित विवाद है जिसका निष्पादन इस न्यायालय कि क्षेत्राधिकार में नहीं है। उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है सक्षम न्यायालय में वाद लाकर अपना–अपना

दावा प्रस्तुत करते हुए विवाद का निपटारा कर लें। तब तक क्षेत्र की शांति व्यवस्था बनाये रखें। उक्त वाद में किसी पक्ष के हित में आदेश पारित करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उक्त आशय के साथ वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। उक्त आदेश का परिचालन द०प्र०सं० की धारा 144 (4) के अधीन प्रभावी होगा।

लेखापित एवं संशोधित,

9/11/23

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

9/11/23

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.06.22 13:22:44 +05:30
Location: 192.168.1.3